**Regarding need to check empanelment eligibility of private hospitals under Ayushman Bharat Scheme and lift Inter-State restriction under Ayushman Bharat Scheme- Laid**

श्री बंटी विवेक साहू **(**छिन्दवाड़ा**) :** प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गरीब व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयुष्मान योजना लागू की गई है जिसमें पात्र व्यक्तियों को निजी चिकित्सालयों में पाँच लाख रूपये तक का इलाज उपलब्ध कराया जाता है । योजना में निजी चिकित्सालयों को शामिल किया गया है किन्तु नागपुर महाराष्ट्र के अधिकांश चिकित्सालय इस योजना में या तो शामिल नहीं हो रहे हैं अथवा वे कहते हैं कि हमारे यहाँ मध्यप्रदेश का आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है । मेरा छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र (मध्य प्रदेश) नागपुर से लगा है एवं नागपुर में चिकित्सा सुविधा पूर्व से विकसित होने की वजह से गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज नागपुर जाकर इलाज कराने को मजबूर होते हैं । आयुष्मान कार्ड होने पर भी उनका योजना में इलाज नहीं होता है। ऐसे में जमापूंजी,संपत्ति बेचकर इलाज कराना पड़ता है । मेरा अनुरोध है कि इस योजना में यह प्रावधान किया जाए कि चिकित्सालय संचालन की अनुमति देते समय एक निर्धारित सीमा 10 बिस्तरों से अधिक वाले चिकित्सालयों एवं विशेष गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा वाले चिकित्सालयों को आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । इस भ्रम को भी दूर किया जाना चाहिए कि मध्यप्रदेश के मरीजों का महाराष्ट्र में आयुष्मान योजना में इलाज नहीं होगा ।